

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 516]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 13 दिसम्बर 2016—अग्रहायण 22, शक 1938

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 दिसम्बर 2016

क्र. एफ-3-50-2016-1-पांच (47).—यतः राज्य सरकार यह आवश्यक समझती है कि मध्यप्रदेश वेट नियम, 2006 में निम्नलिखित संशोधन राजपत्र में पूर्व प्रकाशन के बिना तत्काल किया जाए;

अतएव, मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 71 की उपधारा (1) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश वेट नियम, 2006 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 23 में, उप नियम (1) में, खण्ड (दो), विद्यमान परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाए, अर्थात् :—

“परंतु यह भी कि रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा जिनका वार्षिक सकल विक्रय 1 करोड़ रुपए से अधिक है वर्ष 2015-16 की पुनरीक्षित विवरणी 31 दिसम्बर, 2016 तक प्रस्तुत की जा सकेंगी.”

No. F-A-3-50-2016-1-Five-(47).—WHEREAS, the State Government, considers it necessary that the following amendment in the Madhya Pradesh Vat Rules, 2006 shall be made at once without previous publication in the Gazette.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (1) of Section 71 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby, makes the following further amendment

in the Madhya Pradesh Vat Rules, 2006, namely :—

AMENDMENT

In the said rules, in the rule 23, in sub-rule (1), in clause (ii), after the existing proviso, following proviso shall be added, namely:—

"Provided further that the revised return pertaining to the year 2015-2016 can be furnished up to 31st December, 2016, by a dealer having annual turnover exceeding rupees one crore."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण परमार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 13 दिसम्बर 2016

क्र. एफ-3-50-2016-1-पांच (48).—यतः राज्य सरकार यह आवश्यक समझती है कि मध्यप्रदेश वेट नियम, 2006 में निम्नलिखित संशोधन राजपत्र में पूर्व प्रकाशन के बिना तत्काल किया जाए;

अतएव, मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 71 की उपधारा (1) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश वेट नियम, 2006 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 54 में, उप नियम (1) में, परंतुक में, खण्ड (आठ) के पश्चात्, निम्नलिखित नया खण्ड जोड़ा जाए, अर्थात् :—

“(नौ) वर्ष 2015-2016 से संबंधित संपरीक्षा रिपोर्ट किसी विलंब शुल्क के बिना 31 दिसम्बर, 2016 तक प्रस्तुत की जा सकेगी.”

No. F-A-3-50-2016-1-Five-(48):—WHEREAS, the State Government, considers it necessary that the following amendment in the Madhya Pradesh Vat Rules, 2006 shall be made at once without previous publication in the Gazette.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (1) of Section 71 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Vat Rules, 2006, namely :—

AMENDMENT

In the said rules, in the rule 54, in sub-rule (1), in the proviso, after clause (viii), the following new clause shall be added, namely :—

“(ix) the audit report pertaining to the year 2015-2016 can be furnished up to 31st December, 2016 without a late fee.”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण परमार, उपसचिव.